## न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः—डी०सी० थपलियाल)

1

ALIMANA PAROLA BUNTA

<u>प्र0क0 208 / 2014 अ0फी0</u> संस्थिति दिनांक 20.08.2013

आशाराम सिंह पुत्र विजयसिंह जाति ठाकुर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सिरसोदा थाना गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

----- अपीलांट

बनाम

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, द्वारा—कलेक्टर महोदय मण्डल जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियोगी

अपीलार्थी द्वारा श्री एस०एस०श्रीवास्तव अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०जी०पी० न्यायालय श्री एस०के०तिवारी, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 143 / 2007 ई०फौ० में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 26–07–2013 से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 208 / 2014

> / / नि र्ण य / / (आज दिनांक 17—05—2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी—श्री एस०के०तिवारी के द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक 143 / 2007 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद वि० आशारामसिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 26—07—2013 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी / आरोपी को धारा 406 भा०दं०वि० के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास व 200 / — रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिकम में 01 माह का सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा 02. है कि दिनांक 02.03.2007 को आरक्षक नवलसिंह द्वारा पुलिस थाना गोहद में न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री आर.बी.यादव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद, का लेखीय आवेदनपत्र थाने पर पेश किया कि उनके न्यायालय में चल रहे निष्पादन प्र0क0 4बी / 99x2000 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2007 के कम में न्यायालय द्वारा संदर्भित निष्पादन प्रकरण में डिकी धन की बसूली हेतु निर्णीत पंजाबसिंह निवासी सिरसौदा के विरूद्ध जारी किये गये वारंट के अनुपालन में तत्कालीन आदेशिका वाहक श्री तेजसिंह यादव द्वारा पंजाबसिंह की एक भैंस, दो पिंडिया दिनांक 26.10.2002 को कुर्क कर सिरसौदा निवासी आशाराम पुत्र विजयसिंह को अंतरिम सुपुर्दगी में दी थी। आशाराम अर्थात् आरोपी को उक्त सुपुर्दगी पर प्राप्त भैंस व पिडया को दिनांक 29.01.2007 को न्यायालय में पेश करने हेतु सूचना भेजी गई थी जिसकी समग्र तामील के उपरांत भी नियत दिनांक अथवा उसके पूर्व सुपुर्दगी में प्राप्त उक्त भैंस व दो पिडया को उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और न ही पेश न करने में असमर्थतता का कोई कारण बताया। उपरोक्त लेखीय आवेदनपत्र जिसके साथ संलग्न आदेश दिनांक 29.01. 2007 की सत्यप्रतिलिपि व भैंस एवं दो पिडया की कुर्की एवं सुपुर्दगी दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि एवं तेजसिंह के कथनों की प्रतिलिपि तथा सुपुर्दगीदार का नोटिस के आधार पर पुलिस थाना गोहद में धारा 406 भा०दं०वि० का अप०क० 29/2007 कायम किया गया। तत्पश्चात् साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 406 भा0दं0वि० के संबंध में अपराध पाए जाने से अरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 26.07.2013 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दंण्डित किया गया।

05. अपीलार्थी / आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही विवेचन न कर दण्डाज्ञा पारित करने में गंभीर भूल की है। अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन करने के उपरांत भी तथा कुछ अभियोजन साक्षियों के पक्षद्रोही होने के उपरांत भी विचारण न्यायालय के द्वारा अभियोजन की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराए जाने में भूल की है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य कथनों में विरोधाभाषी कथन आए है उनके कथनों पर विचारण न्यायालय के द्वारा विश्वास किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाष एवं बिसंगतियाँ आई है एवं उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन भी नहीं किया गया है, इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है जो कि उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई कारण अथवा आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 26.07.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

## ::- निष्कर्ष के आधार-::

- 08. नबलिसंह भदौरिया अ०सा० 1 जो कि दिनांक 02.03.2007 को थाना गोहद में आरक्षक कोर्ट मोहर्र के पद पर पदस्थ था उसे तत्कालीन जे.एम.एफ.सी. गोहद, श्री आर.बी. यादव के द्वारा एक आवेदनपत्र जावक क्रमांक 123 दिनांक 02.02.2007 का अपराध कायम करने थाना गोहद के लिए दिया गया था जिस पर से थाना प्रभारी के द्वारा आरोपी आशाराम के विरूद्ध अपराध क्रमांक 29/2007 धारा 406 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया जो कि प्र.पी. 1 है।
- 09. तेजिसंह अ0सा0 6 जो कि कुर्की वारंट लेकर सिरसोदा जाना और भैंस, पिडया का कुर्की वारंट की तामील में उन्हें कुर्क कर उसे सुपुर्दगी पर देने और इस संबंध में दस्तावेज प्र.पी. 6 तैयार करना बताया है जो कि पंजाबिसंह पुत्र काशीराम की भैंस और दो पिडया कुर्क कर आशाराम को सुपुर्दगी में देने और उसे यह बताने कि न्यायालय में जब आवश्यकता होगी तो उक्त भैंस व पिडया को पेश करना होना। इस संबंध में जब व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद के समक्ष उपिस्थित होकर जाँच में कथन दिए थे जो कि प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 10. रामभरोसे श्रीवास्तव अ०सा० ७ न्यायालय आर.बी.यादव व्यवहार न्यायाधीश गोहद

- 11. उपरोक्त संबंध में बंशीधर व्यास अ०सा० 5 जो कि दिनांक 21.01.2007 को न्यायालय गोहद में आदेशिका वाहक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद से नोटिस सुपुर्दगीदार आशाराम निवासी सिरसोदा को तामील कराने के लिए पहुँचा जो कि कोटवार को भी साथ में ले गया। उक्त नोटिस आशाराम के घर पर न मिलने से उसे कोटवार के समक्ष मकन पर चश्पा किया गया था और उस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश की गई थी जो कि रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया गया है।
- 12. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों जो कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद के द्वारा उनके यहाँ चल रहे प्रकरण क्रमांक 4/99 x 2000 की सुपुर्दगीदार आशाराम निवासी ग्राम सिरसोदा को दिया गया नोटिस की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 5 मद्यून पंजाबसिंह को जारी कुर्की वारंट की सत्यप्रतिलिपि जिसमें कि कुर्की वारंट के अनुपालन में पंजाबसिंह की एक भैंस और दो पिडया कुर्क किया जाना और उक्त कुर्क की गई भैंस व पिडया आरोपी आशाराम को सुपुर्दगी पर दिया गया जो कि इस संबंध में कुर्की की कार्यवाही कर आशाराम को सुपुर्दगी पर कुर्क की गई भैंस एवं पिडया सुपुर्दगी पर दिए जाने के संबंध में आदेशिका वाहक तेजिसहं यादव के द्वारा जॉच कथन की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 7 पेश की गई है।
- 13. अभियुक्त परीक्षण में आरोपी आशाराम के द्वारा उसे निर्दोष होना बताया है एवं उसकी ओर से बचाव में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है।
- 14. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय के निष्पादन प्रकरण क्रमांक 4बी/99 x 2000 जिसमें पारित आदेश जो कि धन की बसूली हेतु मद्यून पंजाबसिंह निवासी सिरसौदा के विरुद्ध जारी किया गया कुर्की वारंट के पालन में आदेशिका वाहक के द्वारा पंजाबसिंह के एक भैंस व दो पिडिया दिनांक 26.10.2002 को कुर्क की जाकर उसी गांव के निवासी आरोपी आशाराम पुत्र

विजयसिंह को अंतरिम सुपुर्दगी पर दी गई थी। सुपुर्दगीदार आरोपी आशाराम को न्यायालय के द्वारा उसे सुपुर्दगी पर दी गई उक्त भैंस और पिडियाँ न्यायालय में पेश करने हेतु भेजी गई सूचना के उपरांत भी सुपुर्दगीदार के द्वारा उसे सुपुर्दगी पर प्राप्त भैंस व पिडिया को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और इस प्रकार उसके द्वारा उसको सुपुर्दगी में दी गई न्यायालय की सम्पित्त को दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया जाना स्पष्ट होता है।

- 15. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, अभियोजन साक्षी तैजिसेंह अ0सा0 6 जिनके द्वारा कि कुर्की वारंट की तामीली कराई गई है एवं भैंस और पिडिया कुर्क करने पर सुपुर्दगी पर प्रदान की गई है, इस संबंध में यद्यिप साक्षी अधिक समय होने से आरोपी की पहचान न कर सकना अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आरोपी की पहचान अधिक समय होने के कारण नहीं कर सका है, उसके सम्पूर्ण कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। कई साल बीत जाने के पश्चात् यदि आरोपी की पहचान साक्षी नहीं कर पा रहा है तो यह अस्वभाविक भी नहीं कहा जा सकता है। प्र.पी. 6 के दस्तावेज जो कि कुर्की वारंट के पश्चात् मद्यून पंजाबसिंह की भैंस व पिडया कुर्क करने के पश्चात् आरोपी आशाराम पुत्र विजयसिंह को सुपुर्दगीनामे पर दी गई है। इस संबंध में साक्षी तेजिसिंह के जॉच के कथन भी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद के द्वारा लिए गए है, जिसमें उक्त तथ्य की पुष्टि हुई है। साक्षी तेजिसेंह अ0सा0 6 के सम्पूर्ण कथन पशचात् यह प्रमाणित होता है कि मद्यून पंजाबिसेंह भैंस व दो पिडया कुर्क आशाराम जो कि वर्तमान आरोपी है उसे सुपुर्दगी पर दी गई थी।
- 16. सुपुर्दगीदार आशाराम को उसे सुपुर्दगी पर दी गई भैंस व दो पिडयां न्यायालय में पेश करने बावत् सूचनापत्र प्र.पी. 5 जो कि आदेशिका वाहक बंशीधर व्यास अ०सा० 5 के प्रतिपरीक्षण उपरांत भी उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। साक्षी ने यद्यपि इस बात को स्वीकार किया है कि न्यायालय में प्रस्तुत तामीली रिपोर्ट प्र.पी 5 में समय का उल्लेख नहीं है तथा इस बात को भी स्वीकार किया है कि चश्पे की रिपोर्ट बनाते समय केवल कोटवार को ही बुलाया था, किन्तु मात्र इस आधार पर कि सूचना पत्र की तामीली में समय का उल्लेख नहीं किया गया है और चश्पा के समय साक्षी के रूप में कोटवार को ही बुलाया गया था, निश्चित तौर से कोटवार गांव का जिम्मेदार अधिकारी है, यदि उसके समक्ष चश्पा की कार्यवाही की गई हो तो वह कार्यवाही सम्युक रूप से की जानी मानी जाएगी। साक्षी बंशीधर व्यास के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है।
- 17. इस संबंध में अभियोजन साक्षी रामभरोसे श्रीवास्तव अ०सा० 7 जिसके द्वारा प्र.पी. 9 के आवेदनपत्र उन्हें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोजद, आर०बी०यादव के द्वारा देना और उस पर उनके हस्ताक्षर को पहचानना स्वीकार किया है। निश्चित तौर से न्यायालय की कार्यवाही के

सामान्य अनुक्रम में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 1 गोहद के द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर को उक्त साक्षी के द्वारा प्रमाणित किया गया है। साक्षी रामभरोसे श्रीवास्तव प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 1 के द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोहद में नवलसिंह भदौरिया के द्वारा दी जानी प्रमाणित की गई है।

- 18. आरोपी को उक्त प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया हो अथवा साक्षीगण उससे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु उसके विरूद्ध कोई कथन कर रहे हों ऐसा भी मानने का कोई आधार या कारण परिलक्षित नहीं होता है। आरोपी के द्वारा कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसे किसी प्रकार की कोई सूचना न्यायालय में सम्पत्ति पेश करने की नहीं थी अथवा आरोपी के द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में प्रकरण पेश होने के पश्चात् उसे पेश कराया गया हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है। आरोपी आशाराम के द्वारा कहीं भी यह आधार नहीं लिया गया है कि उसने सुपुर्दगीनामे पर कुर्क की गई सम्पत्ति प्राप्त नहीं थी अथवा उसके द्वारा जसे सुपुर्दगी में दी गई सम्पत्ति को न्यायालय में पेश करने के संबंध में कोई भी कार्यवाही की गई हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है।
- 19. विचारोपरांत प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा आपराधिक न्यास भंग कारित करने के संबंध में धारा 406 भाठदंठविठ के अंतर्गत विचारण न्यायालय के द्वारा दोषसिद्ध ठहराए जाने में किसी प्रकार की काई तथ्यात्मक या वैधानिक त्रुटि अथवा भूल की जानी नहीं पाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के दोषसिद्ध आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का भी कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दिए गए दण्डादेश की पुष्टि की जाती है।
- 20. आरोपी को दिए गए दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने के संबंध में उचित रूप से विचार नहीं किया गया है, जबकि आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकार का नहीं है और उसे दी गई सजा काफी कठोर है।
- 21. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 406 भा0दं०वि० के अंतर्गत आरोप की प्रमाणिकता होनी पाई गई है। आरोपी के कृत्य एवं अपराध की प्रकृति एवं तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए उसे आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं है।
- 22. आरोपी को दिए गए दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है, धारा 406 भा०दं0वि० के

अंतर्गत उसे विचारण न्यायालय के द्वारा एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो सौ रूपए अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। आरोपी जिस पर डिक्री की राशि 4835 / – रूपए जो कि मद्यून पंजाबसिंह पर बसूली योग्य थे उसकी भैंस व पडिया की कुर्की पश्चात् सुपुर्दगी पर देने और उक्त सुपुर्दगी की सम्पत्ति को न्यायालय में पेश न कर पाने के संबंध में आरोप की प्रमाणिकता होनी पाई गई है। आरोपी जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का होकर अनपढ व्यक्ति है तथा वर्ष 2007 से विचारण का सामान कर रहा है और नियमित रूप से उपस्थित हो रहा है, उसे प्रदत्त की गई एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा कठोर है। उसे दिए गए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को कम करते हुए उसके स्थान पर अर्थदण्ड की राशि बढाया जाना उचित होगा।

विचारोपरांत दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के द्वारा प्रस्तुत अपनी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी आशाराम को विचारण न्यायालय के द्वारा दी गई एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को कम कर 6 माह के सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की राशि 200 / — रूपए से बढाकर 700 / — किए जाने का आदेश दिया जाता है। उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई अर्थदण्ड की 200/- रूपए की राशि अधिरोपित अर्थदण्ड में समायोजित की जाए, शेष राशि जमा की जाए। अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 माह के सश्रम कारावास की सजा स्थिर रखी जाती है।

आरोपी / अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया जाकर संसोधित सजा वारंट बनाकर 24. सजा भुगताए जाने हेतु भेजा जावे।

सजा वारंट र मूल अभिलेख बापस किया ज मेरे बोलने पर टंकित किया गया (डी०सी०थपलिया अपर सत्र गो आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे। 25. निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड